GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
DEPARTMENT OF COMMERCE
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER
NOIDA SPECIAL ECONOMIC ZONE
NOIDA DADRI ROAD, PHASE-II, NOIDA - 201305
DISTT. GAUTAM BUDH NAGAR (UTTAR PRADESH)

फ. स.10/191/2008-सेज/ दिनांक: 24/05/2018

1. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उधोग मंत्रालय, भारत सरकार, उधोग भवन, नई दिल्ली-110001।
2. संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
3. आयकर आयुक्त, (सीआईटी-तृतीय-जयपुर), न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)।
4. आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर-I, न्यू सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग, स्टैचू सर्किल, सी-स्कीम, जयपुर (राजस्थान)
5. प्रबंध निदेशक, रीको लिमिटेड, उधोग भवन तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)
6. उपसचिव (आई एफ - 1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. आयुक्त, उधोग विभाग, उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।
8. महाप्रबंधक, रीको लिमिटेड, उधोग भवन तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान) ।
9. महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड (विकासकर्ता), 411, नीलकंठ टावर, भवानी सिंह मार्ग, सी स्कीम, जयपुर-302001 (राजस्थान).

विषय: दिनांक 18/05/2018 पूर्वाह्न 11.30 बजे रीको बोर्ड रूम, उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में आयोजित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड मल्टी प्रोडक्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र के अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में डा० एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता मे दिनांक 18/05/2018 को पूर्वाह्न 11.30 बजे रीको बोर्ड रूम, उधोग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर में आयोजित महिंद्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लिमिटेड विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है |

इसे विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा का अनुमोदन प्राप्त है ।

भवदीय,

रवि कुमार श्रीवास्तव

(रवि कुमार श्रीवास्तव)
उप विकास आयुक्त

संलग्नक : उपरोक्त

City Office : PHD House, IIIrd Floor, Opp. Asian Games Village, New Delhi-110016
Tel. Zone Office : 0120 -2567270 , 0120- 302144 to 46(3 Lines), Fax : 2562314, 2567276
City Office Telefax : 011-26855061: E-mail : < dcnsez@nsez.gov.in > : Website: < www.nsez.gov.in >

रीको, उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर के बोर्ड रूम में 18.05.2018 को 11.30 बजे प्रातः डॉ. एल.बी. सिंहल, विकास आयुक्त, नोएडा सेज की अध्यक्षता में आयोजित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के बहु-उत्पाद सेज की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त

बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे

1. श्री वीरेन्द्र सिंह, संयुक्त डीजीएफटी, जयपुर।
2. श्री सम्पत राय, सहायक आयुक्त, केन्द्रीय जीएसटी, जयपुर-1
3. श्री संजय ममगाई, उपनिदेशक, डीआईसी, जयपुर।
4. श्री पी.आर. गोमलदा, उपप्रबन्धक, रीको, जयपुर।
5. श्री अनुज बिन्दल, महाप्रबन्धक, महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि.— डेवलपर के प्रतिनिधि, विशेष आमन्त्रिती।

- इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान (i) श्री श्रीप्रकाश चन्द उपाध्याय, एडीसी तथा (ii) श्री जे.सी. गुप्ता, विशिष्टीकृत अधिकारी भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे।

- प्रारम्भ में अध्यक्ष महोदय ने भागीदारों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के उपरान्त अध्यक्ष ने अनुमोदन समिति के सदस्यों को सूचित किया कि वाणिज्य विभाग, भारत सरकार ने 604.5836 हेक्टेयर के क्षेत्र में पाँच सेक्टर विशिष्ट सेज (आईटी/आईटीईएस सेज, अभियान्त्रिक एवं सम्बद्ध उद्योग सेज, हस्तशिल्प सेज, रत्न एवं आभूषण सेज तथा आईटी/आईटीईएस सहित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) के सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर विनिर्माण सेज) को एक मल्टी-प्रोडक्ट सेज में

विलय के लिए 17.04.2018 को एक गजट अधिसूचना जारी की है। इसके पश्चात प्रस्ताव में सम्मिलित प्रत्येक मदों को एक-एक करके विवेचन के लिए प्रस्तुत किया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के मध्य विस्तृत विवेचन तथा डेवलपर/इकाइयों के आवेदकों/प्रतिनिधियों की अन्तर्क्रिया के बाद निम्नलिखित निर्णय लिए गये :

1. 16.03.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति की अन्तिम बैठक के प्रस्ताव की सम्पुष्टि :

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 16.03.2018 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के विरुद्ध अनुमोदन समिति या व्यापार के किसी सदस्य द्वारा कोई सन्दर्भ नही□ प्राप्त हुआ और इसलिए 16.03.2018 को आयोजित बैठक की सम्पुष्टि की गयी।

2. <u>ग्राम कलवाड़ा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□ नेवता, तहसील-साँगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) में स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के मल्टी-प्रोडक्ट सेज में एक इकाई की स्थापना हेतु मैसर्स सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्रा.लि. का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह बात लाई गयी कि मैसर्स सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्रा.लि. ने ग्राम कलवाड़ा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□ नेवता, तहसील-साँगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) में स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के मल्टी-प्रोडक्ट सेज में प्लॉट न□ पीए-009-002 से 005 पर 26818.20 वर्ग मीटर के क्षेत्र में एक इकाई की स्थापना हेतु एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें अग्रलिखित का निर्माण किया जाना था : (i) इलेक्ट्रिकल वायरिंग के सामान तथा कलपुर्जे जो धातु ताँबे, लोहे, एल्युमीनियम, जिंक एल्युमीनियम, काँसे तथा मिश्र स्टील से बने हैं (अध्याय शीर्ष 8538),

(ii) मशीन द्वारा ढले पुजेर् तथा तैयार उत्पाद जो ऑटोमोटिव एव गैर-ऑटोमोटिव अनुप्रयोग में आयेंगे (अध्याय शीर्ष 7307), (iii) ट्यूब तथा पाइप एव स्टील फिटिंग्स और उनके पुर्जे (अध्याय शीर्ष 7307), (iv) फ्लो कंट्रोल एव अग्निशमन रक्षा तन्त्र (अध्याय शीर्ष 7326), (v) औद्योगिक तथा विद्युत पारेषण एव वितरण के कलपुर्जे (अध्याय शीर्ष 8538), (vi) बियरिंग्स हाउसिंग्स कलपुर्जे (अध्याय शीर्ष 8483), (vii) हाइड्रोलिक सिलिण्डर कलपुजेर्, कवर (अध्याय शीर्ष 8412), (viii) ऑटोमोटिव क्षेत्र के लिए विद्युत पारेषण (अध्याय शीर्ष 8708), (ix) औजार एव डाई, जिग एव फिक्सचर, कोर बॉक्स, बन्धित उपयोग एव निर्यात हेतु मैच प्लेट (अध्याय शीर्ष 8466), (x) सह-उत्पाद स्क्रैप एव मशीनिंग्स चिप्स (अध्याय शीर्ष 7204)"। पाँच वर्षों में इसका अनुमानित निर्यात 25217.00 लाख तथा रु. 13238.00 लाख का सञ्चयी एनएफई होगा। यह भी सूचित किया गया कि आयातित पूँजीगत माल के लिए रु. 2225.00 लाख का तथा स्वदेशी पूँजीगत माल एवपरियोजना की अन्य लागत के लिए रु. 2640.00 लाख की प्राप्ति पूँजी/आन्तरिक सञ्ग्रहण एव सावधि ऋण (ईसीबी) के माध्यम से होगी। पुनः सूचित किया गया कि सेज डेवलपर ने आवेदक को प्रस्तावित भूमि के आवंटन हेतु प्रावधानिक प्रस्ताव दे दिया है।

यह भी सूचित किया गया कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ पाई गयीजिसके विषय में आवेदक से सम्पर्क किया गया था :-

(i) ऑनलाइन फॉर्म-F में विसंगतिः-

क) ऑनलाइन फॉर्म-F हस्ताक्षरित/मुहर लगा हुआ नहीं जमा किया गया।

ख) फॉर्म-F के पैरा IV में उल्लिखित वांछित समस्त 11 निदेशकों का

विवरण। आवेदक ने केवल 07 निदेशकों का विवरण दिया है। दोनों स्थानों पर इन निदेशकों के नाम में भी भिन्नता है।

ग) परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित प्रस्तावित मदों की सूची की तुलना में फार्म-F के पैरा V में विनिर्मा की प्रस्तावित मदों की पूरी सूची का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त वार्षिक क्षमता को मीट्रिक टन या टनों में पुनः जाँच की जानी है।

घ) फॉर्म-F के पैरा VII(a) में प्रस्तावित स्वदेशी पूँजीगत माल का उचित मूल्य उल्लिखित करना वांछित है। आवेदक ने रु. 2640 लाख के बजाय रु. 264 लाख का उल्लेख किया है।

(ii) आवेदक द्वारा दिनांक 28.03.2018 को प्रस्तुत बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति के अनुसार श्री किरण कुमार यशवन्तराय आचार्य, श्री नितीन गणेश इनामदार, श्री मुकेश कुमार जैन एवं श्री नवनाथ गनपत तारले में से कोई दो अधिकारी कम्पनी की ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत हैं। किन्तु वर्तमान आवेदन में समस्त दस्तावेजों पर केवल श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा ही हस्ताक्षर किये गये हैं। अतः कम्पनी की ओर से व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने के लिए श्री मुकेश कुमार जैन को अधिकृत करने के लिए बोर्ड के प्रस्ताव की प्रति जमा की जानी वांछित है।

(iii) 'सफ्क रॉक मेटल फाउण्ड्रीज इण्डिया प्रा.लि.' के नाम से इनकॉरपोरेशन के प्रमाणपत्र की मूल प्रति प्रदान करनी वांछित है।

(iv) सभी निदेशकों (श्री किरण कुमार यशवन्तराय आचार्य को छोड़कर) के पैन कार्ड की प्रतियाँ जमा की जानी वांछित हैं।

(v) श्री विलियम थॉमसन टॉली, श्री थॉमस केर आर्मस्ट्रांग जू. के वैध

पासपोर्ट की प्रतियाँ प्रदान की जानी वांछित हैं क्योंकि इन निदेशकों के पासपोर्ट की वैधता पहले ही समाप्त हो चुकी है।

(vi) श्री जोसेफ जेरार्ड डेल टोरो, श्री तारिक अब्दुल्ला मोहम्मद उस्मान, सुश्री जॉएस डेमोन्टेवर्डे, स्नीडेल, सुश्री हीदर लिने फॉस्ट, श्री विलियम थॉमसन टॉली, श्री थॉमस केर आर्मस्ट्रांग जू., श्री चार्ल्स जोसेफ बर्न्स नाम के विदेशी निदेशकों के आवासीय पता प्रमाण जमा किए जाने वांछित हैं क्योंकि इन निदेशकों के पासपोर्ट में उनके आवासीय पते नहीं हैं।

(vii) सुश्री हीदर लिने फॉस्ट की नियुक्ति हेतु फॉर्म-32/डीआईआर 12 तथा प्रथम निदेशकों श्री प्रणय प्रकाश भाटिया एवं श्री राजेश पोपेशियल ठक्कर की सेवामुक्ति हेतु फॉर्म-32/डीआईआर 12 की प्रति जमा की जानी वांछित है।

(viii) आवेदक ने परियोजना के पृष्ठ 26 पर प्रस्तावित सेज भूमि का क्रय मूल्य रु. 10.86 लाख दर्शाया है जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है क्योंकि भूमि केवल पट्टे पर ली जानी है।

(ix) सीए द्वारा प्रमाणित कम्पनी की वर्तमान शेयरधारिता जमा की जानी है।

(x) मैसर्स सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन प्रा.लि. के नाम की पैन कार्ड की प्रति।

(xi) निदेशकों की सूची के अनुसार श्री विरेन अजीत जोशी तथा श्री किरण कुमार यशवन्तराय आचार्य का आवास प्रमाण।

(xii) आवेदक को 7204 शीर्ष के अधीन मदों के आईटीसी (एचएस) कोड

निर्दिष्ट किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि इस शीर्ष के अधीन की कुछ मदें निषिद्ध हैं।

(xiii) विनिर्माण की समस्त प्रस्तावित मद की मदवार विनिर्माण प्रक्रिया का प्रवाह-सचित्र (फ्लो चार्ट)।

यह पुनः सूचित किया गया कि आवेदक ने अपने जवाब जमा कर दिये थे जिसका परीक्षण किया जा रहा है।

श्री मवनाथ जी. तारी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-प्रचालन एव श्री मुकेश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष-वित्त आवेदक कम्पनी की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। आवेदक फर्म के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित सूचना दीः-

- यह कम्पनी मूल रूप से श्री सज्जन कुमार अग्रवाल, एनआरआई द्वारा प्रोत्साहित की गयी थी जिनका व्यवसाय मैसर्स सिग्मा इलेक्ट्रिक मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, यूएसए के नाम से है। कम्पनी 17.05.1989 को निगमित हुई। वर्तमान में कम्पनी का नियन्त्रण एव स्वामित्य मैसर्स सक्र रॉक मॉरीशस एक्विजीशन्स कम्पनी के पास है (अन्ततः इसका स्वामित्व पीई अर्थात अरगद पार्टनर्स एलपी के पास है)।

- पुणे तथा जयपुर दोनों स्थानों पर सिग्मा की समस्त वर्तमान इकाइयाँ 100% स्टैटस होल्डर (अवस्थिति धारक) हैं और अपने उत्पादों का 95% से अधिक उत्पाद मुख्य रूप से अमेरिका को निर्यात कर रही है और अपने प्रारम्भ से लेकर पूरे वर्ष सकारात्मक एनएफई प्राप्त किया है।

- कम्पनी की उत्पाद शृंखला में मशीनकृत फेरस एवं नॉन-फेरस सैण्ड-कास्ट, ग्रेविटी, डाई-कास्ट मेटल पार्ट्स तथा असेम्बली शामिल हैं। कम्पनी के उत्पाद ताँबे, लोहे, स्टील, जिंक, एल्युमीनियम तथा एल्युमीनियम काँसे आदि से बने हैं। उत्पादों का उपयोग प्रकाश, विद्युत, घरेलू उपकरण, पॉवर टूल, निर्माण मशीनरी, कृषि उपकरण आदि में किया जाता है।

- यह संयन्त्र विश्व के अनेक देशों में से एक उत्कृष्ट संयन्त्र होगा और इसे चरणबद्ध ढंग से विकसित किया जायेगा। प्रथम चरण में सिग्मा का लक्ष्य महिन्द्रा सेज, जयपुर में लगभग 27000 वर्ग मीटर भूमि का अधिग्रहण करना है। इसकी विनिर्माण क्षमता 4500 एमटी ढलाई वाले पुर्जों की होगी। मुख्य उत्पादों में विद्युतीय वायरिंग उपकरण तथा उनके कलपुर्जे, फ्लो कंट्रोल (प्रवाह नियन्त्रण) एवं अग्निशमन सुरक्षा तन्त्र, आटोमोटिव क्षेत्र हेतु ऊर्जा पारेषण शामिल हैं। वर्तमान में प्रथम चरण में कम्पनी केवल आयरन सामग्रियों तथा नॉन-फेरस उत्पादों जैसे एल्युमीनियम, जिंक तथा ताँबे की मिश्रधातु एवं एल्युमीनियम काँसा आदि मूल धातु से निर्मित उत्पादों की आवश्यकता की पूर्ति हेतु सेज में एक औद्योगिक इकाई स्थापित कर रही है, ऐसी भावी आवश्यकताओं तथा विस्तार के लिए वे वांछित उचित अनुमोदन प्राप्त करने हेतु अलग से विकास आयुक्त कार्यालय, एनएसईजेड, नोएडा के पास जायेंगे। इसका अधिकतम उत्पादित माल अमेरिका को निर्यात किया जायेगा।

- वे हाई प्रेशर मोल्ड लाइन वाली उच्चस्तरीय मशीनें सिंगो जापान

से, सैण्ड प्लाट उपकरण जर्मनी से तथा सीएनसी/वीएमसी एव असेम्बली के लिए विभिन्न एसपीएम मशीनें, ग्राइडिंग मशीनें तथा विभिन्न महत्त्वपूर्ण आवश्यकताओ के लिए रोबोट सहित उच्च स्तरीय प्रदूषण उपकरण एव इकाइयों हेतु अन्य अनुषंगी उपकरण, फिनिशिंग आदि आयात करेंगे। विभिन्न इनपुट सामग्री, कन्ज्यूमेबल (उपभोज्य), असेम्बली पुर्जों के आयात भी विदेशों से किये जायेंगे किन्तु कुछ वांछनीयताओ की पूर्ति घरेलू स्रोतों से की जायेगी।

- प्रदूषण नियन्त्रण मानकों के अनुपालन में पर्यावरणीय एव अन्य वांछनीयताएँ सुनिश्चित करने हेतु अनिवार्य रूप से वांछित आधुनिकतम प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण स्थापित किए जायेंगे। वे इसके लिए सम्बद्ध सरकारी प्राधिकरण जैसे प्रदूषण नियन्त्रण विभाग से भी वांछित अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

- बाहर की कुछ प्रक्रियाओ हेतु उपठेके की आवश्यकता होगी जैसे कास्टिंग (ढलवा) पुर्जों की सीएनसी/वीएमसी मशीनिंग, पेंट तथा पाउडर कोटिंग (लेपन) तथा सम्बद्ध ग्राहक की आवश्यकता के आधार पर कुछ प्लेटिंग प्रक्रिया और ग्राहकों की भारी माँग की पूर्ति के लिए जहाँ क्षमता बाधाएँ होंगी अथवा माँग मौसमी आधार द्वारा प्रभावित होगी वहाँ आउटसोर्स किये जाने की आवश्यकता होगी।

- डीटीए द्वारा उपठेके के माध्यम से किये जाने वाले लगभग 15% कार्य के अतिरिक्त सेज परिसर के भीतर प्रमुख विनिर्माण गतिविधियाँ सम्पन्न की जायेंगी। वांछित आवश्यक सीमा/आबकारी अनुमति ऐसे उपठेकों के पूर्व प्राप्त कर ली जायेंगी और यथानिर्धारित समस्त आवश्यक प्रयोज्य कानूनों का ध्यान रखा जायेगा। वे जॉब

वर्क/उपठेके के लिए स्क्रैप सामग्री बाहर नही□भेजेंगे।

- यह कि वे सीआरजीओ स्टील सामग्री का उत्पादन उत्पाद के रूप में नही□करते हैं और न वे कथित कच्चे माल, चाहे प्राइम हो या स्क्रैप, का अपनी उत्पादन आवश्यकताओ□हेतु उपयोग करेंगे यद्यपि उन्हें स्टील स्क्रैप के कच्चे माल की आवश्यकता होगी जिसकी पूर्ति घरेलू स्रोत से की जायेगी तथा पिग आयरन का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जायेगा। पुन:, नॉन-प्राइम के आयात से सम्बन्धित दिनाक्र 20.12.2016 को निर्गत की गयी निर्देश स□ 87 के अनुसार मिल के अवशेष, स्क्रैप तथा अवैध सीआरजीओ सामग्री उनकी कच्चे माल अथवा तैयार उत्पाद की वाछित श्रेणी में नही□ आता है जिसे इस्पात मन्त्रालय के दूसरे आदेश दिनाक्र 12.03.2012 के स्टील उत्पाद (गुणवत्ता नियन्त्रण) में स्पष्ट किया गया है। यह पुन: घोषित किया गया कि वे अपनी आवश्यकता हेतु न तो इस प्रकार की सामग्री का उपभोग करेंगे और न आयात करेंगे क्योंकि कथित आदेश उन पर प्रयोज्य नही□हैं।

पूर्ण रूप से विचार के उपरान्त अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया, बशर्ते निम्नलिखित नियम एव□शर्तों सहित आवेदक द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों का परीक्षण किया गया हो:-

(i) नॉन-प्राइम, मिलों के अवशेष स्क्रैप तथा अवैध सीआरजीओ सामग्रियों की इस परियोजना के लिए अनुमति नही□ दी जायेगी और इस सम्बन्ध में डीओसी द्वारा दिनाक्र 20.12.2016 को निर्गत निर्देश स□ 87 का कठोरता से पालन किया जायेगा।

(ii) इकाई सेज से प्रचालन प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक पर्यावरणीय अनापत्ति प्राप्त कर लेगी और साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण मानकों का अनुपालन भी करेगी।

(iii) उपठेके हेतु सेज से बाहर स्क्रैपों के निस्तारण की अनुमति नही□दी जायेगी।

अनुमोदन समिति ने इकाई द्वारा सेज अधिनियम/नियमों के प्रासगि□क प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट अधिकारी को निर्देश दिया है। अनुमोदन समिति ने आवेदक के प्रतिनिधि को पैन इण्डिया आधार पर प्रवाह-स□चित्र (फ्लो चार्ट) सहित अपनी गतिविधियों का स□क्षिप्त विवरण जमा करने का निर्देश दिया है। तदनुसार, अनुमोदन समिति के निर्देशानुसार आवेदक के प्रतिनिधि ने अपने ई-मेल द्वारा 22.05.2018 को उक्त का स□क्षिप्त विवरण जमा कर दिया है।

3. <u>ग्राम कलवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□नेवता, तहसील-साथानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के बहु-उत्पाद सेज में ओला पेडल सेवाओ□के प्रचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि., डेवलपर का प्रस्ताव</u>

अनुमोदन समिति के स□ज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि., डेवलपर ने सेज परिसर में ओला पेडल सेवाओ□के प्रचालन हेतु अनुमति प्राप्त करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। यह सूचित किया गया कि डेवलपर ने तीन वर्षों की अवधि के लिए मैसर्स अनी टेक्नोलॉजीज प्रा.लि. (ओला) के साथ 21.02.2018 (10.02.2018 से प्रभावी) को किए गये एक समझौता ज्ञापन की प्रति प्रस्तुत की थी। पुन: सूचित किया गया कि उक्त समझौता ज्ञापन के पैरा 2.3 के अनुसार ओला

प्रचालन इकाइयों तथा सेज के भीतर कार्य करने वाले लोगों को किराये पर साइकिलें उपलब्ध करायेगी (जिसे 'ओला कैब्स' मोबाइल एप से बुक किया जायेगा)। पुनः, उक्त समझौता ज्ञापन के पैरा 4 में यह उल्लिखित है कि सेज में एमडब्ल्यूसीजे तथा ओला आपसी सहमति पर ओला को आपसी चिह्नित स्थानों पर साइकिलों को पार्क करने तथा/अथवा निर्दिष्ट 'डॉकिंग स्टेशनों' की स्थापना अनुमति देंगे। ऐसे स्टेशनों (केन्द्रों) को उचित पूर्व सूचना देकर स्थानान्तरित किया जा सकता है। साइकिलों की पार्किंग के स्थान बिना किसी शुल्क के उपलब्ध कराये जायेंगे किन्तु यदि समझौते से स्थानों को दीर्घकाल के लिए ग्रहण किया जाता है तो आपसी सहमति से शुल्क लेना प्रयोज्य होगा।

श्री अनुज बिन्दल, महाप्रबन्धक तथा श्री विमल मिश्रा, उपमहाप्रबन्धक डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के सम्मुख उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

अनुमोदन समिति ने पाया कि डेवलपर का निवेदन न तो इकाई की स्थापना के लिए है और न सेज नियम, 2006 के नियम 11(5) के तहत सुविधा प्रदानकतार् को स्थान आवटित करने के लिए है। अतः, अनुमोदन समिति ने निर्णय लिया कि डेवलपर को सेज में कथित सुविधा के सृजन का निर्णय स्वय□लेना है।

4. <u>जयपुर (राजस्थान) में मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. बहु-उत्पाद सेज में वितथ अधिकृत प्रचालन हेतु माल की सूची के अनुमोदन के लिए मैसर्स इन्फोसिस बीपीएम लि., सह-डेवलपर का प्रस्ताव।</u>

अनुमोदन समिति के सज्ञान यह लाया गया कि मैसस इन्फोसिस बीपीएम लि., सह-डेवलपर ने ग्राम कलवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□

नेवता, तहसील-साशानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) में मैसस महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के बहु-उत्पाद सेज में निम्नलिखित के प्रचालन हेतु सामग्रियों की सूची के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है:-

क्र. स□	अधिकृत प्रचालन का नाम	निर्देश स. 50 एव 54 के अनुसार अधिकृत प्रचालन की वितथ सूची पर क्रम स□	माल का अनुमानित मूल्य (लाख रू. में)
(i)	मल्टी लेवल कार पार्किंग (आटोमेटेड/मैनुअल) सहित पार्किंग	18	27.50
(ii)	साइट के चारों ओर तथा भीतर प्रवेश, निकास तथा अन्य स्थानों पर सिक्योरिटी कार्यालय, पुलिस पोस्ट आदि।	11	103.00
(iii)	स्ट्रीट लाइड, सिग्नल तथा साइनेज युक्त सड़कें।	01	138.00
		कुल :	**268.50**

श्री पुनीत मुधरा, वरिष्ठ प्रबन्धक तथा श्री वासुदेव शेनॉय, वरिष्ठ प्रबन्धक-वित्त सह-डेवलपर की ओर से अनुमोदन समिति के सम्मुख उपस्थित हुए और प्रस्तावित सामग्रियों की व्याख्या की।

गहन विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सामग्रियों की सूची

अनुमोदित कर दी।

5. **<u>ग्राम कलवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□नेवता, तहसील-सा□ानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के बहु-उत्पाद सेज में एक इकाई की स्थापना करने के लिए मैसर्स एरो ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज लि. का प्रस्ताव।</u>**

अनुमोदन समिति के स□ज्ञान में यह बात लाई गयी कि मैसर्स एरो ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज लि. ने पाँच वर्षों की अवधि में रु. 200600.00 लाख के अनुमानित निर्यात तथा रु. 18152.00 लाख की स□ायी एनएफई सहित "पॉलिशकृत रैंडम ग्रेनाइट स्लैब" के निर्माण हेतु ग्राम कलवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□नेवता, तहसील-सा□ानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. के बहु-उत्पाद सेज में 27610.60 वर्ग मीटर के प्लॉट स□ पीए-008-010 पर एक इकाई की स्थापना करने के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया है। यह भी सूचित किया गया कि आयातित पूँजीगत माल के लिए रु. 2300.00 लाख तथा स्वदेशी पूँजीगत माल एव□परियोजना की अन्य लागत हेतु रु. 2680.00 लाख का निवेश इक्विटी (आन्तरिक स□ग्रहण) एव□ऋण के माध्यम से किया जायेगा। पुनः यह सूचित किया गया कि सेज डेवलपर ने आवेदक को प्रस्तावित भूमि के आव□टन हेतु प्रावधानिक प्रस्ताव प्रदान कर दिया है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रथम दृष्टया आवेदन में निम्नलिखित कमियाँ थी□जिसके विषय में आवेदक को सूचित कर दिया गया था:-

(i) ऑनलाइन फॉर्म-एफ में कमियाँ:-

क) फार्म-F के पैरा X में 5 वर्षों में कुल प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय रु. 1908 लाख दर्शाया गया है, जबकि फॉर्म-F के पैरा

V(a)(ii) में आयातित सयन्त्र एव मशीनरी में निवेश रु. 2300 लाख दर्शाया गया है। अतः आवेदक को प्रस्तावित विदेशी मुद्रा व्यय में आयातित सयन्त्र एव मशीनरी की लागत शामिल करने की आवश्यक है।

ख) फॉर्म-F के पैरा VI में दिये गये मूल्य को केवल आईएनआर में दिया जाना है न कि लाख में।

ग) फॉर्म-F हस्ताक्षरी में ना साहिर अरोड़ा लिखा है किन्तु 2017-18 के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र से तुलना करने पर हस्ताक्षर सुनील अरोड़ा के प्रतीत होते हैं।

(ii) कम्पनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सहित निगमन के प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान की जानी अपेक्षित है।

(iii) साहिल अरोड़ के आधार कार्ड तथा फॉर्म-F के पैरा IV में उल्लिखित आवासीय पते में भिन्नता पाई गयी है। इसके अतिरिक्त श्री राहुल गुप्ता के आवासीय पते सहित पूर्ण आधार कार्ड की प्रति नही प्रदान की गयी है।

(iv) श्री सुनील अरोड़ की नियुक्ति हेतु फॉर्म 32/डीआईआर 11/12 की प्रति तथा प्रथम निदेशक श्री प्रेम अरोड़ा की पदच्युति हेतु फॉर्म 32/डीआईआर 11/12 की प्रति जमा की जानी अपेक्षित है।

(v) परियोजना की लागत, सयन्त्र तथा मशीनरी का मूल्य रु. 23.03 करोड़ (डीपीआर के पृष्ठ 11 पर) उल्लिखित किया गया है जबकि फॉर्म-F के पैरा V में आयातित तथा स्वदेशी सयन्त्र एव मशीनरी पर कुल निवेश रु. 49.80 करोड़ दर्शाया गया है।

(vi) परियोजना प्रतिवेदन में दिये गये वित्तीय साधनों के आकड़ों तथा फॉर्म-F के पैरा V(b) में भिन्नताएँ पाई गयी हैं, अतः सही आँकड़ें उपलब्ध कराये जायें।

(vii) निदेशकों/शेयरधारकों के नवीनतम विवरण परियोजना प्रतिवेदन में उल्लिखित किए जाएँ।

(viii) एलओपी स□ ए/2000(56)/ईओयू-टीएन दिनाक 29.03.2000 की प्रति प्रदान की जाए।

(ix) सूची में दिये गये आयातित एव□ स्वदेशी पूँजीगत माल के मूल्य फॉर्म-F में दिये गये पूँजीगत माल के मूल्य से भिन्न हैं।

श्री साहिल अरोड़ा, निदेशक आवेदक कम्पनी की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने सूचित किया कि कम्पनी 1988 में श्री सुनील के. अरोड़ा, निदेशक द्वारा प्रोत्साहित की गयी। वर्तमान में कम्पनी का ईओयू 100% है जो होसुर, तमिलनाडु में स्थित है और यह ग्रेनाइट टाइलों तथा ग्रेनाइट स्लैब का प्रसस्करण तथा निर्यात कर रही है। उन्होंने पुनः सूचित किया कि वे भारत से विश्व के 50 से अधिक देशों को 100 से अधिक शेड/रष्ट्रों के ग्रेनाइट निर्यात कर रहे हैं। उन्होंने सूचित किया कि कम्पनी एक प्रमाणित आईएमएस कम्पनी, एक प्रतिष्ठित स्टार एक्सपोर्ट हाउस तथा देश की ग्रेनाइट टाइल तथा स्लैब निर्यातक विशालतम कम्पनियों में से एक है। कम्पनी विश्वभर के क्रेताओ□ की परिवर्तित अपेक्षाओ□ की पूर्ति के लिए सर्वोत्तम गुणवत्ता मानक बनाये रखती है, चाहे यह उत्पाद की गुणवत्ता हो या सुपुर्दगी। उन्होंने सूचित किया कि महिन्द्रा सेज का प्रस्तावित नया सष्ट्रान्त्र उन्हें परिवहन लागत 50% तक कम करने में समर्थ करेगा।

अनुमोदन समिति को यह सूचित किया गया कि कम्पनी तथा इसके

प्रोमोटरों की पृष्ठभूमि की जानकारी श्री सुरेश बाबू, उपविकास आयुक्त द्वारा फोन पर की गयी जो 100% ईओयू, एमएसईजेड की देखभाल कर रहे हैं और उन्होंने सूचित किया कि उन्हें मैसर्स एरो ग्रेनाइट इण्डस्ट्रीज लि. के उपलब्ध निदेशकों/प्रोमोटर के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य नही□प्राप्त हुआ।

सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया बशर्ते कि आवेदक कम्पनी एसईजेड से प्रचालन प्रारम्भ करने से पूर्व खनन विभाग से आवश्यक पर्यावरणीय अनापत्तियाँ तथा आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ले तथा साथ ही पर्यावरण प्रदूषण नियन्त्रण मानकों का भी अनुपालन करे। अनुमोदन समिति ने आवेदक इकाई के प्रतिनिधि को पुन: अपनी प्रस्तावित गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। तदनुसार, अनुमोदन समिति के निर्देशानुसार आवेदक ने इस आशय का संक्षिप्त विवरण अपने ई-मेल दिनांक 21.05.2018 के माध्यम से जमा कर दिया।

6. **<u>निष्पादन की निगरानी तथा एसईजेड योजना से निकासी पर विचार हेतु ग्राम कटवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एव□ नेवता, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) की आईटी/आईटीईएस सेज (अब बहु-उत्पाद सेज) की एक इकाई मैसर्स सिस्टवीक सॉफ्टवेयर का प्रस्ताव।</u>**

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया था कि मैसर्स सिस्टवीक सॉफ्टवेयर को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हेतु जयपुर (राजस्थान) में मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. की आईटी/आईटीईएस सेज (अब बहु-उत्पाद सेज) में एक इकाई की स्थापना हेतु दिनांक 23.06.2011 को एलओए स□ 10/43/2011-सेज/4678 अनुदानित किया गया। इस इकाई ने 16.01.2012 अपने प्रचालन आरम्भ कर दिए। इस इकाई का एलओए 31.03.2018 तक वैध था। एपीआर के

अनुसार तथा एनएसईजेड सीए फर्म द्वारा प्रमाणित इकाई का वर्षवार निष्पादन/एनएफई उपलब्धि स्थिति निम्नलिखित है :

रु. लाख में

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	अर्जित एनएफई	डीटीए विक्रय	वास्तविक लम्बित विदेशी विनिमय
2011-12	1641.62	1640.83	0.00	0.00
2012-13	18069.14	9041.72	0.00	0.00
2013-14	39673.20	8279.44	0.00	0.00
2014-15	24319.98	10721.14	0.00	0.00
2015-16	9941.88	6482.51	0.00	0.00
2016-17	3449.78	2226.77	0.00	0.00
2017-18	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल :	**97095.60**	**38392.41**	**0.00**	**0.00**

फिर भी, इन एपीआर के सन्दर्भ में सीए फर्म द्वारा विभिन्न निरीक्षण किये गये।

यह सूचित किया गया कि इस इकाई ने दिनाक्ष 02.01.2017 के अपने पत्र के माध्यम से यह कहते हुए सेज योजना से निकासी के लिए आवेदन किया कि बदलते व्यापारिक परिवेश तथा प्रोपराइटर के खराब स्वास्थ्य के कारण इस इकाई को निकासी का विकल्प चुनना पड़ा। तदनुसार इस इकाई को निकासी हेतु इसके प्रस्ताव पर विचार करने के लिए पत्र दिनाक्ष 06.03.2017, ई-मेल दिनाक्ष 07.06.2017 तथा तथा पत्र दिनाक्ष 24.10.2017 के माध्यम से अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निवेदन किया गया। यह सूचित किया गया कि अनुपालन में इस इकाई ने अपने पत्र दिनाक्ष 18.04.2017 तथा

अनुगामी पत्र दिनाक 01.08.2017 तथा 01.11.2017 के माध्यम से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण जमा कर दिए:-

क्रम स	पूछताछ	उत्तर
(i)	एसईजेड (सेज) के निर्दिष्ट अधिकारी से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र	निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति/बकाया नही प्रमाणपत्र स MMCL/SEZ/SAS/14/2011/352 दिनाक 02.11.2017 जमा कर दिया गया।
(ii)	डेवलपर से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र	दिनाक 31.07.2017 को डेवलपर से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र जमा कर दिया गया। इकाई ने पहले ही परिसर खाली कर दिया।
(iii)	मूल अनुमोदन पत्र दिनाक 23.06.2011 वापस कर दिया गया।	इस इकाई ने मूल एलओए दिनाक 23.06.2011 जमा कर दिया।
(iv)	फॉर्म-I (सीएसटी) के सन्दर्भ में कोई बकाया नही	फॉर्म I सेक्शन एनएसईजेड के अनुसार इकाई को कोई फॉर्म I नही जारी किया गया। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (फॉर्म I के विरुद्ध अनापत्ति/कोई बकाया नही प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के

		भुगतान, यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के फॉर्म I के विरुद्ध विकास आयुक्त, नोएडा के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
(v)	श्रम विभाग का कोई बकाया नही।	पत्र दिनाक्क 14.12.2017 के माध्यम से अतिरिक्त श्रम आयुक्त को 15 दिन का समय देते हुए इस इकाई के विरुद्ध किसी बकाये के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया। उक्त समय-सीमा बीत गयी। श्रम विभाग से कोई उत्तर नही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (न्यायिक श्रम विभाग से अनापत्ति/कोई बकाया नही प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र-सह-घोषणापत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के भुगतान, यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के श्रम विभाग के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
(vi)	न्यियक सेवा कर विभाग से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र।	न्यायिक जीएसटी विभाग से दिनाक्क 08.01.2018 का कोई बकाया नही पत्र

		प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (न्यायिक सेवा कर विभाग से अनापत्ति/कोई बकाया नही प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र-सह-घोषणापत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के भुगतान, यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के सेवा कर विभाग के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
(vii)	सम्बद्ध विभाग से स्थानीय करों अर्थात सीएसटी/वैट से कोई बकाया नहीप्रमाणपत्र।	कर अनापत्ति प्रमाणपत्र दिनाक 18.04.2017 जमा कर दिया गया।
(viii)	इकाई के अधिकृत प्राधिकारी (प्रोपराइटर को छोड़कर) के पक्ष में प्राधिकार पत्र की प्रति।	प्रोपराइटर द्वारा हस्ताक्षरित पत्र।
(ix)	वह तिथि जब तक इकाई प्रचालन में रही, भी सुनिश्चित की जाए।	इकाई ने बताया कि वे सेज में 15.04.2017 तक प्रचालन में रहे।
(x)	प्रभावी दिनाक 23.06.2011 (एलओए की तिथि) से अब तक	पंजीकृत पट्टा विलेख जमा किया गया, 20.07.2011 को क्रियान्वित तथा

	का पञ्जीकृत पट्टा विलेख जमा करें।	19.07.2016 तक वैध। तथा 19.07.2016 के बाद का पञ्जीकृत पट्टा विलेख की एक प्रति जमा की गयी।
(xi)	प्रारूप के अनुसार रु. 100 के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर निकासी हेतु नोटरीकृत विधिक घोषणापत्र।	जमा कर दिया गया।
(xii)	वर्तमान वर्ष के एपीआर सहित अद्यतन एपीआर। इस कार्यालय द्वारा नियुक्त सीए फर्म के साथ किये गये सम्पर्क के अनुसार निर्यात आक़ड़ों में भिन्नता से सम्बन्धित दस्तावेज/स्पष्टीकरण	जमा कर दिये गये। इस इकाई द्वारा जमा किये गये एपीआर/उत्तर की जाँच एनएसईजेड सीए फर्म द्वारा की गयी और विभिन्न निरीक्षण किए गये।
(xiii)	निकासी के विकल्प चयन का स्पष्टीकरण।	पत्र दिनाक़ 18.04.2017 के माध्यम से जमा किया गया। इकाई ने कहा कि मोबाइल की वृद्धि के कारण डेस्कटॉप कम्प्यूटरों का उपयोग बहुत कम हो गया और मोबाइल एप्लीकेशन अब तक उनके सर्वोत्तम विकल्प हैं। उनके कुल राजस्व में मोबाइल एप्लीकेशनों का योगदान 2% से कम है और गत 2 वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त डेस्कटॉप कम्प्यूटरों

		से प्राप्त राजस्व कम हो रहा है और वे डेस्कटॉप कम्प्यूटरों हेतु नये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन करने में असमर्थ हैं क्योंकि डेस्कटॉप एप्लीकेशनों का पूरा बाजार समाप्त होता जा रहा है। किन्तु, उनके साथ काम करने वाले ग्राहकों ने मोबाइल एप्लीकेशनों की ओर जाने का निर्णय लिया है और वे अब डेस्कटॉप कम्प्यूटरों पर कार्य नही कर रहे हैं और सिमेंटेक/नॉर्टन जैसी बड़ी कम्पनियाँ जो इस व्यापार में भी हैं जो एंटी-वायरस तकनीक में बाजार में अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके अपने व्यापार को नष्ट करने का प्रयास कर रही हैं।

श्री श्रीशैल राणा, प्रोपराइटर इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सेज योजना से निकासी की अनुमति के लिए निवेदन किया।

सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सेज में अपने प्रचालन के दौरान इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने पुन: निर्णय लिया कि सेज योजना से इकाई के निष्कासन के प्रस्ताव पर सीए फर्म द्वारा किये गये निरीक्षणों के सन्दर्भ में इकाई से संशोधित एपीआर की प्राप्ति के उपरान्त फाइल पर अलग से विचार किया जाए। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को सीए फर्म,

एनएसईजेड के निरीक्षणों के अनुसार संशोधित एपीआर जमा करने का निर्देश दिया।

7. **निष्पादन की निगरानी तथा एसईजेड योजना से निकासी पर विचार हेतु ग्राम कटवारा, झाई, भम्बोरिया, बागरू खुर्द एवं नेवता, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर (राजस्थान) स्थित मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) की आईटी/आईटीईएस सेज (अब बहु-उत्पाद सेज) की एक इकाई मैसर्स द फोन सपोर्ट प्रा.लि. का प्रस्ताव।**

अनुमोदन समिति के संज्ञान में यह लाया गया कि मैसर्स द फोन सपोर्ट प्रा.लि. को सॉफ्टवेयर विकास से सम्बन्धित बीपीओ, ग्राहक सेवा केन्द्र, सॉफ्टवेयर विकास तथा अनुषंगी सेवाओं से सम्बन्धित गतिविधियों हेतु जयपुर (राजस्थान) में मैसर्स महिन्द्रा वर्ल्ड सिटी (जयपुर) लि. की आईटी/आईटीईएस सेज (अब बहु-उत्पाद सेज) में एक इकाई की स्थापना हेतु एलओए सं. 10/40/2013-सेज/7424 दिनांक 16.07.2013 अनुदानित किया गया। इस इकाई ने अपने प्रचालन 31.12.2013 से प्रारम्भ किए थे। इस इकाई का एलओए 30.12.2018 तक वैध था। एपीआर के अनुसार तथा एनएसईजेड सीए फर्म द्वारा प्रमाणित इकाई का वर्षवार निष्पादन/एनएफई उपलब्धि स्थिति निम्नलिखित है :

रु. लाख में

वर्ष	निर्यात का एफओबी मूल्य	अर्जित एनएफई	डीटीए विक्रय	वास्तविक लम्बित विदेशी विनिमय
2013-14	443.98	443.98	0	0
2014-15	3011.90	3011.9	0	0

2015-16	4326.69	4326.69	0	0
2016-17	1694.61	1650.89	0	0
2017-18	300.08	300.08	0	0
कुल :	**9777.26**	**9733.54**	**0**	**0**

***यद्यपि एपीआर के सन्दर्भ में एनएसईजेड सीए द्वारा किये गये कुछ निरीक्षण हैं।**

यह सूचित किया गया कि अपने पत्र दिनाक्ष 20.04.2017 के माध्यम से इस इकाई ने यह कहते हुए सेज योजना से निकासी के लिए आवेदन किया कि बदलते हुए व्यापारिक परिवेश तथा प्रतिस्पर्द्धी कम्पनियों की ओर भारी सक्ष्या में कर्मचारियों तथा ग्राहकों के चले जाने के कारण इकाई के पास निकासी का ही विकल्प बचा है। तदनुसार, इकाई के निवेदन को स्वीकार करते हुए इकाई को एक पत्र दिनाक्ष 29.05.2017 तथा ई-मेल दिनाक्ष 29.05.2017 निर्गत किया गया जिसमें निकासी के उसके प्रस्ताव पर विचार करने हेतु इकाई से कथित पत्र तथा ई-मेल में सूचीबद्ध आवश्यक दस्तावेज जमा करने का निवेदन किया गया।

यह सूचित किया गया कि इकाई ने अपने पत्र दिनाक्ष 12.09.2017 तथा 03.11.2017 के माध्यम से निम्नलिखित अपेक्षित दस्तावेज/स्पष्टीकरण जमा कर दिए थे:-

क्रम स□	सवाल	उत्तर
(i)	एसईजेड (सेज) के निर्दिष्ट	निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा निर्गत

	अधिकारी से कोई बकाया नही□प्रमाणपत्र	अनापत्ति/बकाया नही प्रमाणपत्र स. MMCJL/SEZ/TPS/Misc/03/2017/350 दिनाक 02.11.2017 जमा कर दिया गया।
(ii)	डेवलपर से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र	दिनाक 01.09.2017 को डेवलपर से कोई बकाया नही□प्रमाणपत्र जमा कर दिया गया। डेवलपर ने आश्वस्त किया कि इकाई ने पहले ही परिसर खाली कर दिया है।
(iii)	मूल अनुमोदन पत्र दिनाक 16.07.2013 वापस करने के लिए।	इस इकाई ने मूल एलओए दिनाक 16.07.2013 जमा कर दिया।
(iv)	फॉर्म-I (सीएसटी) के सन्दर्भ में कोई बकाया नही□	फॉर्म I सेक्शन एनएसईजेड के अनुसार इकाई को कोई फॉर्म I नही□ जारी किया गया। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (फॉर्म I के विरुद्ध अनापत्ति/कोई बकाया नही□ प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के भुगतान, यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के फॉर्म I के विरुद्ध विकास आयुक्त, नोएडा के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

(v)	श्रम विभाग का कोई बकाया नही।	पत्र दिनाक 19.12.2017 के माध्यम से अतिरिक्त श्रम आयुक्त को 15 दिन का समय देते हुए इस इकाई के विरुद्ध किसी बकाये के सन्दर्भ में सूचना उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया। उक्त समय-सीमा बीत गयी। श्रम विभाग से कोई उत्तर नही प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (न्यायिक श्रम विभाग से अनापत्ति/कोई बकाया नही प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र-सह-घोषणापत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के भुगतान, यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के श्रम विभाग के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
(vi)	न्यायिक सेवा कर विभाग से कोई बकाया नही प्रमाणपत्र।	न्यायिक जीएसटी विभाग से दिनाक 08.01.2018 का कोई बकाया नही पत्र प्राप्त किया गया। इसके अतिरिक्त इकाई ने यह कहते हुए 100 रुपये के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर (न्यायिक सेवा कर विभाग से अनापत्ति/कोई बकाया नही प्रमाणपत्र के स्थान पर) पर नोटरीकृत विधिक शपथपत्र-सह-घोषणापत्र जमा किया कि फर्म उस समय सीमा के भीतर जुर्माने के भुगतान,

		यदि कोई हो, के माध्यम का अनुपालन करेगी जिसमें बिना किसी शक्का या विरोध के सेवा कर विभाग के पास जुर्माने का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।
(vii)	सम्बद्ध विभाग से स्थानीय करों अर्थात सीएसटी/वैट से कोई बकाया नही□प्रमाणपत्र।	13.06.2017 तक वैध कोई बकाया नही प्रमाणपत्र दिनाक्क 08.06.2017 की कम्प्यूटर जनित प्रति जमा कर दी गयी है जो श्री सुलेखा अग्रवाल, वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा निर्गत है।
(viii)	निकासी सम्बन्धी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत हस्ताक्षरी के पक्ष में तथा निकासी के सम्बन्ध में बोर्ड का प्रस्ताव।	जमा कर दिया गया।
(ix)	वर्तमान वर्ष के एपीआर सहित अद्यतन एपीआर।	जमा कर दिया गया।
(x)	वह तिथि जब तक इकाई प्रचालन में रही, भी सुनिश्चित की जाए।	इकाई ने बताया कि वे सेज में 30.06.2017 तक प्रचालन में रहे।
(xi)	प्रारूप के अनुसार रु. 100 के नॉन-जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर निकासी हेतु नोटरीकृत विधिक घोषणापत्र।	जमा कर दिया गया।

(xii)	निदेशकों श्री शशाक्र राणा, श्री आदित्य चोर्दिया, श्री अपूर्व गर्ग तथा सीए अभिषेक जैन की पदच्युति से सम्बन्धित डीआईआर 11/12.	जमा कर दिया गया।

श्री श्रीशैल राणा, प्रोपराइटर इकाई की ओर से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और सेज योजना से निकासी की अनुमति के लिए निवेदन किया।

सम्यक विचार-विमर्श के उपरान्त अनुमोदन समिति ने सेज में अपने प्रचालन के दौरान इकाई द्वारा अर्जित सकारात्मक एनएफई पर ध्यान दिया। अनुमोदन समिति ने पुनः निर्णय लिया कि सेज योजना से इकाई के निष्कासन के प्रस्ताव पर सीए फर्म द्वारा किये गये निरीक्षणों के सन्दर्भ में इकाई से सशोधित एपीआर की प्राप्ति के उपरान्त फाइल पर अलग से विचार किया जाए। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रतिनिधि को सीए फर्म, एनएसईजेड के निरीक्षणों के अनुसार सशोधित एपीआर जमा करने का निर्देश दिया।

अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

(डॉ. एल.बी. सिहल)
विकास आयुक्त